न्यामूर्ति रंजन गोगोई-सीजे और न्यामूर्ति सूर्यकांत के समक्ष।

नीना सहरावत,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत सरकार और अन्य-उत्तरदाता

एल. पी. ए. सं. -2011 का 69

11 नवंबर, 2011

लेटर्स पेटेंट 1919-याचिकाकर्ता द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 (एस. जी. टी. कॉलेज) को चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए आदेश देने की मांग की गई थी-याचिकाकर्ता को जुलाई, 1999 में बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में बी. एम. एन. कॉलेज में प्रवेश मिला-विवरण पत्रिका में दिया गया नोट कि प्रवेश अस्थायी आधार पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की मंजूरी के अधीन थे-याचिकाकर्ता को 'प्रबंधन कोटा सीट' के खिलाफ प्रवेश मिला था-भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने बी. एम. एन. कॉलेज को मंजूरी नहीं दी-एम. डी. यू. के उप कुलपति ने आगे प्रवेश रोकने का निर्देश दिया-बी. एम. एन. कॉलेज ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया और एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया-एम. डी. यू. ने आदेश को चुनौती दी और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की अनुमति दी- पुनः अवलोकन में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। - अंतरिम आदेश वर्ष 1997 और 1998 में छात्रों द्वारा लिए गए प्रवेश बारे था लेकिन जिन छात्रों ने 1999 में अस्थाई तौर पर प्रवेश में लिया था ने भी इसका लाभ उठाया- 1997-1998 में प्रवेश लिए छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और 2003 में बीडीएस की डिग्री हासिल की- इसके बाद बी. एम. एन. कॉलेज को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया-अपीलार्थी अगस्त 2006 में तीसरे वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ-अपीलार्थी और एक और छात्र को छोड़कर, अन्य सभी छात्रों ने बी. एम. एन. कॉलेज को छोड़ दिया और कहीं और प्रवेश प्राप्त किया-अपीलार्थी ने 'स्थानांतरण' या प्रवासन के लिए अपना मामला चलाया-13.2.08 को हरियाणा सरकार ने एम. डी. यू. को एस. जी. टी. कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज में उसके समायोजन पर विचार करने के लिए लिखा-एक नव स्थापित विश्वविद्यालय पी. बी. डी. यू. ने एस. जी. टी. कॉलेज को 'सरकारी आदेशों का तुरंत पालन करने' के लिए कहा-एस. जी. टी.

कॉलेज ने अपीलार्थी को प्रवेश नहीं दिया-अपीलार्थी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किया, जिसने पंजीयक, एम. डी. यू. और डी. सी. आई. को आवश्यक कार्रवाई करने और अपीलार्थी को अपना बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देने की सलाह दी। एस जी टी कॉलेज और डी सी आई ने दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया अपीलार्थी ने CWP दायर की अंतरिम आदेश पारित हुआ की उसे वी डी एम के चौथे वर्ष की परीक्षा में बैठाया जाये हालाँकि यह निर्देशित किया की परीक्षा का परिणाम घोषित न किया जाये डी सी आई ने सही तथ्यों सहित उत्तर दायर किया सी डब्लू पी ख़ारिज की गई-एल पी ए दायर की गए-जिसे यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की राज्य सरकार ने अपीलार्थी का अनुचित रूप से पक्ष पात किया उसका प्रवेश अवैध था; उनका 'स्थानांतरण' या प्रवास 'कानून के किसी भी प्रावधान के बिना था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्पष्टत; राज्य सरकार, एम. डी. यू., पी. बी. डी. यू. और भारत सरकार ने एक या दूसरे अनुकूल आदेश पारित करके अपीलार्थी की अनुचित सहायता की है जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कैसे राज्य तंत्र वैधानिक नियामक निकाय (डी. सी. आई.) के निर्देशों के विपरीत अपीलार्थी की बी. डी. एस. डिग्री को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक था।अपीलार्थी के प्रति दिखाए गए पक्षपात ने दुर्भाग्य से 'अवैध अपेक्षाओं' और निष्फल न्यायसंगत विचारों को जन्म दिया है।

(पैरा 30)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी की ओर से एकमात्र तर्क कि उसे जुलाई 1999 में प्रवेश मिला था, जबकि डी. सी. आई. ने केवल 13.09.1999 पर बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) में 'आगे' प्रवेश रोक दिया था और बाद का प्रतिबंध उसके मामले में संभावित रूप से लागू नहीं था, पूरी तरह से गलत और मिथ्य है।यद्यपि विवाद आकर्षक प्रतीत होता है, तथापि, सार में खोखला है।वर्ष 1998 में डी. सी. आई. द्वारा दी गई 'अनंतिम' अनुमति उक्त वर्ष के लिए प्रवेश समाप्त होने के बाद समाप्त हो गई।कोई अस्थायी अनुमति या अनुमोदन नहीं था जुलाई 1999 में जब अपीलार्थी को बी. एम. एन. कॉलेज में प्रवेश मिला।यह तथ्य कि बी. एम. एन. कॉलेज को अभी भी राज्य सरकार द्वारा अपने 'सूचना विवरणिका' में शामिल किया गया था, अपीलार्थी के मामले

में भी सुधार नहीं करता है क्योंकि समावेश सशर्त था और उक्त कॉलेज में प्रवेश का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को अपने जोखिम और जोखिम पर ऐसा करना था।

(पैरा 32)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जुलाई, 1999 में या उसके बाद बी. एम. एन. कॉलेज द्वारा किए गए प्रवेश, अवैध थे, जो प्रवेश प्राप्त छात्रों को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करते थे।

(पैरा 33)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतिम प्रश्न, अर्थात् बी. एम. एन. महाविद्यालय से एस. जी. टी. महाविद्यालय में अपीलार्थी के 'स्थानांतरण' या 'प्रवास' की वैधता को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि एस. जी. टी. महाविद्यालय में अपीलार्थी के 'समायोजन के लिए' विश्वविद्यालय को सलाह देने या आदेश देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाने वाले कानून का कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।दूसरा, पी. बी. डी. यू. ने सरकारी आदेश को लागू करना कैसे अनिवार्य महसूस किया, इसका खुलासा एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) पर अपने जवाब/हलफनामे में उसके निर्देशों की अवज्ञा करने का आरोप लगाने के अलावा नहीं किया गया है।शैक्षणिक मामलों के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त स्वायत्तता राज्य कार्यपालिका या किसी अन्य एजेंसी से किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।पी. बी. डी. यू. ने उन कारणों के लिए, जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं, एस. जी. टी. कॉलेज को दिनांकित सरकारी पत्र 13.02.2008 को लागू करने के लिए एक के बाद एक निर्देश जारी किए।विशेष रूप से, अपीलार्थी को एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) में स्थानांतरित करते समय डी. सी. आई. को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था और उसे कोई संचार नहीं भेजा गया था कि उसकी पूर्व अनुमति लेने के बारे में क्या बात की जाए, हालांकि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, 2007 की डिग्री के लिए विनियमों के खंड-IV (प्रवास) के उप-खंड (1) के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक है।इस तरह की पूर्व अनुमति के अभाव में, एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) ने अपीलार्थी को चौथे वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

(पैरा 35)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह सच है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता न्यायसंगत और विवेकाधीन है और जहां भी अन्याय पाया जाता है, वहां तक पहुंचने के

लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।इस लचीली शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से खुला है कि वह ऐसा आदेश पारित करे जो जनहित में निर्धारित हो। रिट कोर्ट, इक्विटी कोर्ट होने के नाते, जनहित को आगे बढ़ाने में राहत देने और रोकने दोनों के लिए एक कदम आगे बढ़ सकता है।यह सर्वविदित है कि एक विशेषाधिकार उपचार निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है और अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष के आचरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।यदि पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाता है या प्रासंगिक सामग्री को दबा दिया जाता है या अन्यथा अदालत को गुमराह किया जाता है, तो याचिका को गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय लिए बिना खारिज किया जा सकता है।

(पैरा 38)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्धारित नियमों के विपरीत राहत नहीं दे सकता है।उम्मीदवार की कठिनाई उसे दया के आधार पर राहत नियमों का उल्लंघन करके नहीं दी जा सकती। इस प्रकार सहानुभूति के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि राहत हमेशा कानूनी अधिकार से मिलती है, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक, (2008) 1 एस. सी. सी. 456 में अभिनिर्धारित किया गया है।

(पैरा 41)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, इसके आलावा निम्नलिखित तथ्य हमें इक्विटी क्षेत्राधिकार का आह्वान करने से रोकने के लिए पर्याप्त हैं:-

(i) अपीलार्थी को सामान्य प्रवेश परीक्षा में उसकी योग्यता स्थिति के आधार पर बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला था। उसने प्रबंधन कोटे की एक सीट के खिलाफ प्रवेश प्राप्त किया, या तो कैपिटेशन शुल्क के भुगतान पर या कुछ अन्य बाहरी दबावों के माध्यम से;

(ii) उसे बी. एम. एन. कॉलेज में यह जानते हुए प्रवेश लिया कि यह 'गैर-मान्यता प्राप्त' और अप्रमाणित था।

(iii) 'सूचना विवरणिका' में छात्रों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने का कोई वादा नहीं था।

(iv) अपीलार्थी ने 2006 में अपना तीसरे वर्ष का बी. डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और उससे बहुत पहले बी. एम. एन. कॉलेज वर्ष 2003 में बंद हो गया था।

(v) अपीलार्थी के पक्ष में किसी भी न्यायालय द्वारा उसके प्रवेश को बनाए रखने या पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने और/या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई विशिष्ट अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।किसी भी मामले में, अंतरिम आदेश हमेशा अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होते हैं।

(vi) अपीलार्थी ने डी. सी. आई. द्वारा बनाए गए नियमों को विफल करने के लिए बी. एम. एन. कॉलेज के प्रबंधन के साथ हाथ मिलाया;

(vii) अपीलार्थी के पिता और सुरभी राठी द्वारा संयुक्त रूप से दायर 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17040 की खारीजगी ने अपीलार्थी के भाग्य पर पूरी तरह सील लगा दी।उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया है;

(viii) इस अपील को जन्म देने वाली बाद की रिट याचिका इस प्रकार बिल्कुल भी विचारणीय नहीं थी, बल्कि पूर्णनिर्णित के समान सिद्धांत द्वारा वर्जित थी;

(ix) अपीलार्थी पिछली रिट याचिकाओं को खारिज करने सहित भौतिक तथ्यों और जानकारी को दबाने का दोषी है;

(x) अपीलार्थी चौथे वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त करते समय चुनिंदा जानकारी के माध्यम से इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए समान रूप से दोषी है।

(पैरा 47)

सी. एस. सेहरावत, अपीलार्थी के पिता (व्यक्तिगत रूप से) रणधीर सिंह, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा।प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए गुरमिंदर सिंह अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए

बलराम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ विजय सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 के लिए

न्यामूर्ति सूर्या कांत।

(1) यह लेटर्स पेटेंट अपील इस न्यायालय के एक विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 2 को खारिज करते हुए पारित दिनांक 14.12.2010 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई *है,* जिसमें अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) ने श्री गोविंद ट्राइसेन्टेनरी डेंटल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, बुधेरा, गुड़गांव-प्रतिवादी संख्या 6 (संक्षेप में, 'एस. जी. टी. कॉलेज') को निर्देश देने के लिए मैंडमस के एक रिट की मांग की थी ताकि उसे चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सके और ताकि बी. डी. एस. डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके।

(2) चूंकि पक्षों के बीच कई तरह की मुकदमेबाजी हुई है और इस अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका चुनिंदा रूप से तथ्यों का खुलासा करती है, इसलिए हमने विवाद की वास्तविक उत्पत्ति को समझने के लिए 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7187, सी. डब्ल्यू. पी. No.17040 के रिकॉर्ड भी मांगे हैं और उनका अध्ययन किया है।

(3) यह पता चलता है कि अस्थल बोहर, रोहतक में बाबा मस्त नाथ डेंटल कॉलेज (संक्षेप में 'बीएमएन कॉलेज') की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय डेंटल काउंसिल (संक्षेप में, 'डीसीआई') द्वारा उक्त वर्ष के लिए दी गई 'अनंतिम' मंजूरी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (संक्षेप में, 'एम. डी. यू.') द्वारा दी गई अनंतिम संबद्धता के आधार पर की गई थी।इसी तरह की 'अनंतिम' मंजूरी और संबद्धता उक्त महाविद्यालय को वर्ष 1998 के लिए भी क्रमशः डी. सी. आई. और एम. डी. यू. द्वारा दी गई थी।इसके बाद, डी. सी. आई. और एम. डी. यू. द्वारा उक्त महाविद्यालय को कभी भी कोई अस्थायी या नियमित अनुमोदन या संबद्धता नहीं दी गई।

(4) वर्ष 1999 में एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित 'सूचना विवरणिका' में बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) को भी शामिल किया गया *था, हालांकि इस नोट के साथ कि "प्रवेश* भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की मंजूरी के अधीन अस्थायी आधार पर किए जाएंगे।"

(5) अपीलार्थी और 27 और छात्रों ने, उपर्युक्त 'नोट' के बावजूद, जुलाई, 1999 में बी. एम. एन. कॉलेज में प्रवेश पाने का दावा किया।एम. डी. यू. द्वारा 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7187 में दायर अपने जवाब/हलफनामे में लिए गए स्पष्ट रुख के अनुसार,

अपीलार्थी को सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.) में उसकी योग्यता स्थिति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया था, बल्कि उसे 'प्रबंधन कोटा' सीट के खिलाफ प्रवेश मिला था।

(6) डी. सी. आई. ने बी. एम. एन. कॉलेज को अपनी मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह निरीक्षण दल द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने में विफल रहा और न ही यह दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए निर्धारित न्यूनतम बुनियादी ढांचे के मानकों को पूरा करता है।इसके बाद डी. सी. आई. ने एम. डी. यू. के कुलपति को *लिखे अपने पत्र (अनुलग्नक ए-4) के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि "चूंकि भारतीय दंत परिषद ने केंद्र सरकार को शिक्षण कर्मचारियों की कमी के बारे में जानकारी के अभाव में उक्त कॉलेज में बैच/द्वितीय वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए अपनी अनुमति को नवीनीकृत करने की सिफारिश नहीं की है और केंद्र सरकार ने उक्त संस्थान में द्वितीय बैच/द्वितीय वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए अपनी अनुमति को नवीनीकृत नहीं किया है।मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया जाता* है कि जब तक केंद्र सरकार द्वितीय बैच/द्वितीय वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए अपनी अनुमति का नवीनीकरण नहीं करती, तब तक उक्त महाविद्यालय में आगे प्रवेश बंद कर दें।" (जोर दिया गया)

(7) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) ने भी बी. एम. एन. कॉलेज को दूसरे वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति देते हुए स्पष्ट रूप *से निर्धारित किया था कि "यह अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए दी गई है और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन और आपके द्वारा दिए गए प्रदर्शन बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन के बाद वार्षिक आधार पर नवीनीकृत की जाएगी।".*

(8) बी. एम. एन. कॉलेज ने मंजूरी से इनकार करने के खिलाफ व्यथित महसूस किया और रोहतक में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया *और उसके* पक्ष में एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।एम. डी. यू. ने उस आदेश को चुनौती दी और उसकी अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय, रोहतक द्वारा स्वीकार कर लिया गया।हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश लंबे समय तक नहीं चला और बी. एम. एन. कॉलेज द्वारा दायर की गई

एक पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा इसके संचालन पर रोक लगा दी गई।इसके बाद बी. एम. एन. कॉलेज ने अवमानना याचिकाएं और/या विविध आवेदन दायर करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने छात्रों के लिए परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित करने के साथ-साथ उनके परिणामों की घोषणा करने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश प्राप्त हुए।

(9) उपरोक्त *अंतरिम आदेश* हालांकि विशेष रूप से केवल उन छात्रों के लिए था जिन्हें वर्ष 1997 और 1998 में डी. सी. आई./एम. डी. यू. द्वारा दी गई 'अनंतिम' मंजूरी और संबद्धता के बल पर बी. एम. एन. कॉलेज में प्रवेश दिया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1999-2000 में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने भी इसका लाभ उठाया और अनंतिम रूप से परीक्षाओं में उपस्थित होते रहे।

(10) इस बीच, डी. सी. आई. ने बी. एम. एन. कॉलेज को बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के तीसरे बैच में छात्रों को प्रवेश देने से रोकने का एक और आदेश पारित किया और पीड़ित कॉलेज ने 2001 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13955 के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 24 मई, 2003 के आदेश के माध्यम से उस रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार कर लियाः-

XXXXXXXXXX

1. *"वे छात्र जो इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत अंतिम बी. डी. एस. व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित हुए और छह महीने के कैप्सूल पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद इसे पास कर लिया है, उन्हें तुरंत कॉलेज में इंटर्नशिप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।यह उल्लेख किया जा सकता है कि कैप्सूल पाठ्यक्रम का सुझाव प्राचार्य, सरकारी डेंटल कॉलेज, रोहतक द्वारा दिया गया था जब वे 5 अप्रैल, 2002 को न्यायालय में उपस्थित थे और इसे इस न्यायालय द्वारा 5 अप्रैल, 2002 के अपने आदेश में स्वीकार कर लिया गया था, जिसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी।*

2. *कुछ छात्र पूरक परीक्षा में उपस्थित हुए और व्यावहारिक परीक्षा देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।ऐसे छात्रों को व्यावहारिक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी और उनका*

परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार घोषित किया जाएगा।आवश्यक कार्य दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

3. *उपरोक्त खंड 1 और 2 में निर्दिष्ट छात्रों द्वारा प्राप्त डिग्री को डी. सी. आई. द्वारा मान्यता दी जाएगी।*

XXXXXXXXXX

(11) उपरोक्त पुनर्निर्मित निर्देश लंबे समय तक नहीं टिक सके क्योंकि डी. सी. आई. ने 2003 के एस. एल. पी. (सिविल) NO.11042-11050 में खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी जिसमें माननीय सर्वोच्च *न्यायालय ने* पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

(12) यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1997-1998 में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और अंत में वर्ष 2003 में बी. डी. एस. की डिग्री प्राप्त की।इसके बाद, बी. एम. एन. कॉलेज को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया।अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2003 में महाविद्यालय के बंद होने तक तीसरे वर्ष की बी. डी. एस. वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुई थी क्योंकि वह केवल अगस्त, 2006 में उक्त परीक्षा में उपस्थित हुई थी।

(13) इस बीच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर लंबित एसएलपी में कई अंतरिम निर्देश जारी किए, जिसमें बीएमएन कॉलेज में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया।कॉलेज अभी भी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर सका।

(14) 'अनंतिम' मान्यता/अनुमोदन के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों के 1997-1998 बैच के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांकित 30.01.2004 का आदेश इस आशय से पारित किया कि *"जिन छात्रों ने कॉलेज से चार साल का बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से इंटर्नशिप।विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलेजों का आवंटन करेगा और आवंटन पर, वे कॉलेज छात्रों को नियमों के अधीन अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति देंगे, लेकिन इस बात पर कोई आपत्ति उठाए बिना कि छात्रों ने किसी मान्यता प्राप्त दंत महाविद्यालय से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।ऐसे छात्र आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे और विश्वविद्यालय उन्हें विश्वविद्यालय से संपर्क करने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर विभिन्न मान्यता प्राप्त कॉलेजों में आवंटित करने का काम पूरा कर लेगा।जैसा कि*

ऊपर कहा गया है, अनुमति प्राप्त इंटर्नशिप अंतिम आदेशों के अधीन होगी जो इन विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित किए जा सकते हैं और छात्रों द्वारा केवल इंटर्नशिप के पूरा होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

(15) इसी तरह, 1997-1998 बैच के छात्रों को विश्वविद्यालय और डी. सी. आई. की सहमति से पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी और इस आशय का एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23.07.2004 पर पारित किया गया था।

(16) जहाँ तक उन 28 छात्रों का संबंध है जिन्होंने वर्ष 1999 में किसी भी 'अनंतिम' संबद्धता या अनुमोदन के अभाव में प्रवेश प्राप्त करने का दावा किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और एक (सुरभी राठी) को छोड़कर, उनमें से बाकी ने बी. एम. एन. कॉलेज छोड़ दिया और कहीं और प्रवेश प्राप्त किया।

(17) हालाँकि, अपीलार्थी और सुरभी राठी 'बी. डी. एस. छात्रों' के रूप में अपनी स्वीकृति पर अडिग रहे और बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष तक उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने में कामयाब रहे, *जाहिर* तौर पर इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कॉलेज के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की अवमानना का डर दिखा कर कामयाब *रहे*।

(18) बी. एम. एन. कॉलेज के बंद होने से भी अपीलार्थी को निराशा नहीं हुई, जिसने इस बीच किसी मान्यता प्राप्त दंत महाविद्यालय में 'स्थानांतरण' या 'प्रवास' के लिए अपने मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।उनके प्रयासों के

कुछ परिणाम मिले जब हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार को सूचित करते हुए एस. जी. टी. कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज में उनके समायोजन पर विचार करने के लिए एम. डी. यू. को दिनांक 13.02.2008 (अनुलग्नक पी1) पर एक पत्र लिखा।

(19)एक नव स्थापित विश्वविद्यालय जो पं. बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संक्षेप में, 'पी. बी. डी. यू.') के नाम पर जानी जाती है ने राज्य सरकार के दिनांकित 13.02.2008 के पत्र के कथित अनुपालन में, 27.06.2008 (अनुलग्नक पी. 2) पर एक आदेश *पारित किया, जिसमें*

अपीलार्थी को "एस. जी. टी. डेंटल कॉलेज, बुधेरा जिला गुड़गांव में चौथे वर्ष में तत्काल प्रभाव से समायोजित करने की अनुमति दी गई।क्योंकि वह पहले ही प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष बी. डी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है।उक्त आदेश के बाद एस. जी. टी. कॉलेज के प्राचार्य (प्रतिवादी संख्या 6) को "सरकारी आदेशों का तुरंत पालन करने" के लिए एक अनुस्मारक दिनांक 14.07.2008 (अनुलग्नक पी. 3) दिया गया।

(20) चूंकि एस. जी. टी. कॉलेज ने इन निर्देशों के बावजूद अपीलार्थी को प्रवेश नहीं दिया, इसलिए विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञापन दिनांक 24.07.2008 (अनुलग्नक पी4) के माध्यम से प्रत्यर्थी No.6-SGT कॉलेज को सरकारी आदेशों का जानबूझकर पालन न करने के खिलाफ चेतावनी दी और कॉलेज को विश्वविद्यालय को सूचित करने के तहत बिना किसी और देरी के आवश्यक कार्य करने के लिए कहा।

(21) अपीलार्थी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (दंत शिक्षा अनुभाग), भारत सरकार (जी. ओ. आई.) से भी संपर्क किया, जिन्होंने अपने ज्ञापन दिनांक 11.12.2008 (अनुलग्नक पी. 5) के माध्यम से एम. डी. यू. के पंजीयक को सलाह दी कि वे अपीलार्थी को डब्ल्यू. ई. एफ. 15.12.2008 से शुरू होने वाली चौथे वर्ष की बी. डी. एस. पाठ्यक्रम परीक्षा, 2008 में उपस्थित होने की अनुमति दें क्योंकि डी. सी. आई. के साथ मामले को उठाने के लिए कोई समय नहीं बचा था। *मंत्रालय ने डी. सी. आई. को* सम तिथि के एक अन्य पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने और अपीलार्थी को "मंत्रालय को सूचित करते हुए इंटर्नशिप सहित अपना बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने" की अनुमति देने की भी सलाह दी।

(22) एस. जी. टी. कॉलेज और निश्चित रूप से, डी. सी. आई. ने हरियाणा सरकार, एम. डी. यू., पी. बी. डी. यू. और भारत सरकार द्वारा अपीलार्थी को चौथे वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया, और अपीलार्थी के लिए 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.10799 में इस अदालत में दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा, जिसमें एस. जी. टी. कॉलेज को निर्देश देने की मांग की गई कि वह उसे चौथे वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने और बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दे।

(23) इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 28.07.2009 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से एस. जी. टी. कॉलेज को अपीलार्थी के परीक्षा प्रपत्र को स्वीकार करने और उसे पी. बी. डी. यू. को भेजने का निर्देश दिया ताकि वह अस्थायी रूप से चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा में बैठ सके, हालांकि, यह निर्देश दिया गया कि परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाए।

(24) इस बीच डी. सी. आई. ने 3 सितंबर, 2009 को *अपना जवाब-हलफनामा* दायर किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक तथ्यों को छिपाया है, जिसमें यह भी शामिल है कि समान रूप से नियुक्त छात्रों (उस अवधि के दौरान जब कोई अस्थायी मान्यता या अनुमोदन नहीं था) ने 23 जुलाई, 2004 के अंतरिम आदेश (प्रथम और द्वितीय वर्ष बैच के छात्रों को पूरक परीक्षा देने की अनुमति) के स्पष्टीकरण के लिए 2003 के एस. एल. पी. (सी) No.11042-11050 (अनुलग्नक आर. 3/ए) में आई. ए. दायर किया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे बैच के उन छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी और न ही उनके पक्ष में कोई अन्य आदेश पारित किया गया था।यह कहा गया था कि अपीलार्थी ने पहले इसी तरह की राहत की मांग करते हुए 2007 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7187 दायर किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था क्योंकि इसे एक नई याचिका दायर करने की किसी भी स्वतंत्रता के बिना वापस ले लिया गया था।इसके बाद अपीलार्थी ने 2007 की सी. डब्ल्यू. पी. No.17040 वाली एक और रिट याचिका दायर की जिसे 22 नवंबर, 2007 को इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा भी खारिज कर दिया गया था (अनुलग्नक आर. 3/2)।जवाब-हलफनामे में आगे बताया गया कि अपीलार्थी को एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) में 'स्थानांतरित' करने का कोई आदेश कभी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था और न ही डी. सी. आई. ने ऐसे हस्तांतरण के लिए अपनी मंजूरी दी थी जो केवल एक 'मान्यता प्राप्त कॉलेज' से *दूसरे 'मान्यता* प्राप्त कॉलेज' में हो सकता है और बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) उस समय कभी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं था जब अपीलार्थी को उस कॉलेज में कथित प्रवेश मिला था।डी. सी. आई. ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस सत्र में याचिकाकर्ता को बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) में प्रवेश मिला था, उसके लिए कभी भी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी और उसका प्रारंभिक प्रवेश किसी भी कानूनी मंजूरी के कारण, उसके बाद के प्रवास के अनुरोध को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था।जवाब में बताया गया कि बी. एम. एन. कॉलेज के पक्ष में 2001 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 2 में पारित इस अदालत के डिवीजन बेंच के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब दरकिनार कर दिया जब निरीक्षण समिति ने पाया कि उक्त कॉलेज बुनियादी ढांचे में पिछड़े हुए हैं और डेंटल कॉलेज की मान्यता के लिए निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते हैं।

(25) डी. सी. आई. द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 15 दिसंबर, 2009 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा के परिणाम को 'अस्थायी रूप से' घोषित करने या यदि आवश्यक हो तो पूरक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

(26) अपीलार्थी ने अपने परिणाम की 'घोषणा' के लिए एक और आवेदन दायर किया जिसमें पहले के आवेदन की अस्वीकृति के तथ्य को छुपाया गया था।नतीजतन, दूसरे आवेदन को भी 01.04.2010 पर समान भाग्य का सामना करना पड़ा।

(27) इसके बाद विषय-लेखन याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की गई और 14 दिसंबर, 2010 के विवादित आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को विशेष रूप से उसकी पिछली रिट याचिकाओं को खारिज करने के संबंध में भौतिक तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया गया था और साथ ही यह तथ्य कि न तो उसे कभी किसी 'मान्यता प्राप्त कॉलेज' में प्रवेश मिला और न ही उसके दावे को डी. सी. आई. द्वारा पसंद किए गए एस. एल. पी. में बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) के पहले और दूसरे बैच के बी. डी. एस. छात्रों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक या अन्य अंतरिम आदेशों के तहत संरक्षित किया गया था।

(28) पीड़ित रिट-याचिकाकर्ता अब अपील में आया है, जिस पर उसके पिता ने व्यक्तिगत रूप से बहस की है।डी. सी. आई. और पी. बी. डी. यू. (उत्तरदाता संख्या 4) के विद्वान वकील को भी सुना गया है और अभिलेखों का अध्ययन किया गया है।

(29) हमारे सुविचारित विचार में, इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

i. क्या अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 1999 में बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) द्वारा बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में वैध रूप से प्रवेश दिया गया था?

ii. क्या अपीलार्थी द्वारा उत्तीर्ण प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की बी. डी. एस. पाठ्यक्रम परीक्षा उसे अधिकार के रूप में, चौथे वर्ष की परीक्षा में बैठने और बी. डी. एस. डिग्री

पाठ्यक्रम पूरा करने का अधिकार देती है?

iii. क्या हरियाणा सरकार या प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5- विश्वविद्यालय अपीलार्थी को बी. एम. एन. महाविद्यालय (प्रतिवादीगण संख्या 7) से एस. जी. टी. महाविद्यालय में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम थे?

(30) ऊपर तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, हम दोहरा सकते हैं कि रिट याचिका में किए गए कथन या रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज जो प्रकट करते हैं, उससे कहीं अधिक छिपाते हैं।रिट याचिका इस बारे में स्पष्ट रूप से मौन है कि अपीलार्थी को कैसे और किसने बी. एम. एन. महाविद्यालय को 'अनंतिम' मान्यता या अनुमोदन के अभाव में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष बी. डी. एस. पाठ्यक्रम परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी। न्यायालय का आदेश, यदि कोई हो जो, अपीलार्थी या अन्य छात्रों को वर्ष 1999 में कॉलेज द्वारा अपने बी. डी. एस. पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता हो भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। जाहिर तौर पर, अपीलार्थी को राज्य सरकार, एम. डी. यू., पी. बी. डी. यू. और भारत सरकार द्वारा एक या दूसरे अनुकूल आदेश पारित करके अनुचित रूप से मदद की गई है जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कैसे राज्य तंत्र वैधानिक नियामक निकाय (डी. सी. आई.) के निर्देशों के विपरीत अपीलार्थी की बी. डी. एस. डिग्री को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक था।अपीलार्थी के प्रति दिखाए गए पक्षपात ने दुर्भाग्य से 'अवैध अपेक्षाओं' और निष्फल न्यायसंगत विचारों को जन्म दिया है।

1. बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में अपीलार्थी के प्रवेश की वैधता

(31) वास्तव में इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) को पहले वर्ष 1997 के लिए और उसके बाद वर्ष 1998 के लिए 'अस्थायी' संबद्धता और अनुमोदन मिला, जिससे उस अस्थायी 'मान्यता' को जारी रखने के लिए कोई गलत निष्कर्ष निकालने की गुंजाइश नहीं रह गई।हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1999 में एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रकाशित 'सूचना विवरणिका' में निहित स्पष्ट शर्त यह है कि बी. एम. एन. महाविद्यालय (प्रतिवादी संख्या 7) में प्रवेश डी. सी. आई. के अनुमोदन के अधीन 'अस्थाई' आधार पर किए जाएंगे।

(32) अपीलार्थी की ओर से यह एकमात्र तर्क कि उसे जुलाई 1999 में प्रवेश मिला था, जबकि डी. सी. आई. ने केवल 13.09.1999 को बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) में 'आगे' प्रवेश पर रोक लगाई थी और यह

कि बाद का प्रतिबंध उसके मामले में लागू नहीं था, पूरी तरह से गलत और मिथ्य है।यद्यपि विवाद आकर्षक प्रतीत होता है, तथापि, सार में खोखला है।वर्ष 1998 में डी. सी. आई. द्वारा दी गई 'अस्थाई' अनुमति उक्त वर्ष के लिए प्रवेश समाप्त होने के बाद समाप्त हो गई।जुलाई 1999 में जब अपीलार्थी को बी. एम. एन. कॉलेज में प्रवेश मिला तो कोई अस्थायी अनुमति या अनुमोदन मौजूद नहीं था।यह तथ्य कि बी. एम. एन. कॉलेज को अभी भी राज्य सरकार द्वारा अपने 'सूचना विवरणिका' में शामिल किया गया था, अपीलार्थी के मामले में भी सुधार नहीं करता है क्योंकि वह समावेश सशर्त था और उक्त कॉलेज में प्रवेश का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को अपने जोखिम और खतरे पर ऐसा करना था।

(33) बी. एम. एन. महाविद्यालय द्वारा जुलाई, 1999 में या उसके बाद में दिए किए गए प्रवेश, अपने आप, अवैध थे, जो प्रवेश प्राप्त छात्रों को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करते थे।इसलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि जुलाई 1999 में बी. एम. एन. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 7) में अपीलार्थी का प्रवेश पूरी तरह से अवैध था और यह उसे बी. डी. एस. के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं देता था।

2.चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी की पात्रता

(34) समन किए गए अभिलेखों से हमें पता चलता है *कि डी.* सी. आई. द्वारा दायर एस. एल. पी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिए जाने के बाद, बी. एम. एन. महाविद्यालय (प्रतिवादी संख्या 7) में कोई प्रवेश नहीं किया गया था और जिन छात्रों को वर्ष 1997 और 1998 में प्रवेश दिया गया था, उन्हें भी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में समायोजित/स्थानांतरित कर दिया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को संस्थान में एक नियमित संकाय द्वारा कभी भी कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी गई थी, जिसमें दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई थी।यह विश्वविद्यालय को बताना है कि कैसे अपीलार्थी को अभी भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष बी. डी. एस. पाठ्यक्रम परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।फिर भी, पिछले दरवाजे से प्रवेश की प्रक्रिया के माध्यम से इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित डीसीआई के अधिकार को दरकिनार करने का एक कच्चा प्रयास था।

3.अपीलार्थी के स्थानांतरण/प्रवासन के लिए योग्यता

(35) बी. एम. एन. महाविद्यालय से एस. जी. टी. महाविद्यालय में अपीलार्थी के 'स्थानांतरण' या 'प्रवास' की वैधता के अंतिम प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि एस. जी. टी. महाविद्यालय में अपीलार्थी के 'समायोजन के लिए' विश्वविद्यालय को सलाह देने या आदेश देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाने वाले कानून का कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।दूसरा, पी. बी. डी. यू. ने सरकारी आदेश को लागू करना कैसे अनिवार्य महसूस किया, इसका खुलासा एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) पर अपने जवाब/हलफनामे में उसके निर्देशों की अवज्ञा करने का आरोप लगाने के अलावा नहीं किया गया है।शैक्षणिक मामलों के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त स्वायत्तता राज्य कार्यपालिका या किसी अन्य एजेंसी से किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।पी. बी. डी. यू. ने उन कारणों के लिए, जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं, एस. जी. टी. कॉलेज को दिनांकित सरकारी पत्र 13.02.2008 को लागू करने के लिए एक के बाद एक निर्देश जारी किए। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) में स्थानांतरित करते समय डी. सी. आई. को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था और उसकी पूर्व अनुमति लेने के बारे में क्या बात की जाए उसे तो कोई सूचना भी नहीं भेजी गयी थी कि, हालांकि यह बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, 2007 की डिग्री के लिए विनियमों के खंड-IV (प्रवास) के उप-खंड (1) के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक है।इस तरह की पूर्व अनुमति के अभाव में, एस. जी. टी. कॉलेज (प्रतिवादी संख्या 6) ने अपीलार्थी को चौथे वर्ष के बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से ठीक इनकार किया।

(36) इस प्रकार अपीलार्थी को न तो किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में योग्यता के आधार पर बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला और न ही उसने बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से भरे महाविद्यालय में अध्ययन करने के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष का बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा किया।इसी तरह, अपीलार्थी के प्रवेश या उसके बाद के शैक्षणिक कार्यों को डी. सी. आई. द्वारा कभी मान्यता नहीं दी गई। अंतिम वर्ष में एक मान्यता प्राप्त कॉलेज में प्रवेश करने के उसके असफल प्रयास को भी एस. जी. टी. कॉलेज और डी. सी. आई. द्वारा कानूनी रूप से रोक दिया गया था। परिणामी प्रभाव, हालांकि अत्यंत कठोर है, *यह* है कि अपीलार्थी व्यर्थ में किये इस अभ्यास से कोई लाभ नहीं उठा सकता है।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की चौथे वर्ष की बी. डी. एस. परीक्षा के परिणाम जिसमें वह भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त अंतरिम निर्देशों के तहत अस्थायी रूप से उपस्थित होने में कामयाब रही की घोषणा के लिए वांछित आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

(37) अपीलार्थी के पिता ने पूरी निष्पक्षता से, उसके पक्ष में न्यायसंगत विचारों को जगाने के लिए भावुक प्रयास भी किए, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलार्थी 19 वर्ष की थी जब उसे बी. डी. एस. पाठ्यक्रम (वर्ष 1999) में प्रवेश मिला और 29 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी वह उक्त डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही है।

(38) यह सच है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न्यायसंगत और विवेकाधीन है और जहां भी अन्याय पाया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।इस लचीली शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय इसमें पूरी तरह से सक्षम है कि वह जनहित और समानता परियोजनाओं के रूप में ऐसा आदेश पारित करे।रिट कोर्ट, इक्विटी कोर्ट होने के नाते, जनहित को आगे बढ़ाने में राहत देने और रोकने दोनों के लिए एक कदम आगे बढ़ सकता है।यह सर्वविदित है कि एक विशेषाधिकार उपचार निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है और अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष के आचरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।यदि पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाता है या प्रासंगिक सामग्री को दबा दिया जाता है या अन्यथा अदालत को गुमराह किया जाता है, तो याचिका को गुण- दोष के आधार पर मामले का निर्णय लिए बिना खारिज किया जा सकता है।

(39) अरुणिमा **बरुआ बनाम** *भारत* संघ (1) **में, माननीय** सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग वाले व्यक्ति को गंदे हाथों के साथ उससे संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और भले ही गंदगी हटा दी जाए और हाथ साफ हो जाएं, फिर भी यह अदालत को विचार करना है कि उसे राहत दी जानी चाहिए या नहीं।

(40) माधुरी **पटेल बनाम** *अतिरिक्त* **आयुक्त, जनजातीय विकास** (2) **में,** यह अभिनिर्धारित किया कि एक पार्टी जो समानता चाहती है, उसे स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए।जो झूठा दावा करते हुए न्यायालय में आता है, वह समता का अनुरोध नहीं कर सकता है और न ही न्यायालय उसके पक्ष में समता अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उचित होगा।जब पार्टी ने धोखाधड़ी करके लाभ प्राप्त किया, तो लाभ को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(41) यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का *प्रयोग करते* हुए या निर्धारित नियमों के विपरीत राहत नहीं दे सकता है।उम्मीदवार की कठिनाई उसे नियमों का उल्लंघन करने पर दया के आधार पर राहत पाने का हकदार

नहीं बनाती है।इस प्रकार सहानुभूति के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि राहत हमेशा कानूनी अधिकार से मिलती **है, जैसा कि *मध्य* प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक (3) में अभिनिर्धारित किया गया है।**

(42) निर्णयों की श्रृंखला में यह तय हो गया है कि प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने, धोखाधड़ी को रोकने और न्याय के हित, सार्वजनिक हित और ईमानदारी को बढ़ावा देना न्यायालय का कर्तव्य है।जहां किसी पक्ष का दावा वैध आधारों पर आधारित नहीं है, वह इक्विटी का दावा नहीं कर सकता है और जो इक्विटी का दावा करता है उसे अदालत के समक्ष साफ हाथों से आना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धी दावों के बीच इक्विटी को ठीक से तैयार करना होता है। न्यायसमय न्यायालय को, अपने न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, कानूनी धोखाधड़ी के अपराध को रोकने और सद्भावना और समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए।इक्विटी में एक आदेश वह है जो सभी संबंधित पक्षों के लिए न्यायसंगत है।

(43) इन सर्वविदित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हमने अपीलार्थी के अंतिम निवेदन पर भी अत्यधिक सहानुभूति और करुणा के साथ विचार किया है, लेकिन उसे बचाने के लिए समानता क्षेत्राधिकार का आह्वान करने में असमर्थ हैं।हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ

सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि अपीलार्थी उन भौतिक तथ्यों और सूचनाओं को छिपाने का दोषी है जिनका वर्तमान कार्यवाही के भाग्य पर सीधा असर पड़ता है।

---

(1) 2007 (6) एससीसी 120
(2) 1994 (6) एससीसी 244
(3) (2008) 1 एससीसी 456

(44) एक सुरभी राठी और अपीलार्थी ने 2007 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7187 दायर कर किसी मान्यता प्राप्त डेंटल कॉलेज में उनके स्थानांतरण के लिए एक परमादेश की मांग की ताकि वे अपना बी. डी. एस. पाठ्यक्रम पूरा कर सकें।नोटिस मिलने पर, एम. डी. यू. रोहतक ने अपीलार्थी और उसके सह-याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध करते हुए अपना जवाब/हलफनामा दायर किया और दोहराया कि दोनों को सत्र 1999-2000 में प्रवेश मिला था, जिसके लिए डी. सी. आई. की कोई मंजूरी नहीं थी। यह भी व्याख्या कि अपीलार्थी और उसके सह-याचिकाकर्ता को उपरोक्त बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश सी. ई. टी. में

उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि "प्रबंधन अल्पसंख्यक कोटा सीटों के खिलाफ" मिला।रिट याचिका को बाद में याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के वकील द्वारा दिए गए बयान पर निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।

(45) इसके बाद, अपीलार्थी के पिता और सुरभी राठी ने 2007 का सी. डब्ल्यू. पी. No.17040 दायर किया *और* डी. सी. आई., एम. डी. यू. और एस. जी. *टी. कॉलेज आदि को आदेश देने के लिए एक परमादेश की मांग की "ताकि याचिकाकर्ताओं की बेटियों को एस. जी. टी. कॉलेज, गुड़गांव में स्थानांतरित/स्थानांतरित करने की पुष्टि* की जा सके, *और* उन्हें अपना बी. डी. एस. चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम (उनकी इंटर्नशिप सहित) और स्थायी पंजीकरण पूरा करने में सक्षम बनाए।" उन्होंने अपनी बेटियों को एस. जी. टी. कॉलेज में स्थानांतरित करने को वापस लेने के लिए डी. सी. आई. द्वारा पारित *दिनांकित 11.10.2007 पत्र को रद्द करने की भी मांग की।दूसरे निर्देश के लिए* अनुरोध किया गया था कि डी. सी. आई. और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ताओं की बेटियों, सुश्री सुरभी राठी और सुश्री नीना शेरावत की बी. डी. एस. पाठ्यक्रम परिणामों की तीसरी वर्ष की अंक-पत्रक जारी करने का निर्देश दिया जाए।उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 20 नवंबर, 2007 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि:-

> *"यह बताया गया है कि चूंकि इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल 1997-98 और 1998-99 में भर्ती छात्रों को अनुमति दी थी और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय में इस याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।जहाँ तक विश्वविद्यालय के पत्र का संबंध है, यह कहा गया है कि पत्र डी. सी. आई. की अनुमति के अधीन था, जिसे कभी नहीं दिया गया था।विश्वविद्यालय के साथ मुकदमा अलग आधार पर था। डी. सी. आई. उस मुकदमे का पक्षकार नहीं था, जिसमें 8.3.2006, अनुलग्नक पी2 का डिक्री पारित किया गया था।कॉलेज वर्ष 2004 से बंद पड़ा हुआ था और डी. सी. आई. के खिलाफ कार्रवाई का तत्काल कोई कारण नहीं था। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं को दूसरे कॉलेज में*

स्थानांतरित करने के अस्थायी पत्र को वापस ले लिया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था और याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दंत चिकित्सा परिषद ने मान्यता नहीं दी थी, कोई भी अंतरिम या अंतिम निर्देश स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही के साथ टकराव में होगा।डी. सी. आई. के विद्वान वकील ने इस न्यायालय में एक बयान दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का एक आदेश पारित किया गया है जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई भी आदेश देने से बाधित होगा।"

(46) उपर्युक्त निर्णयों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और इसका इस मामले के भाग्य पर सीधा असर पड़ता है।हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी को इन भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था।

(47) इसके अलावा, निम्नलिखित तथ्य हमें इक्विटी अधिकार क्षेत्र को लागू करने से रोकने के लिए पर्याप्त हैं:-

(i) अपीलार्थी को सामान्य प्रवेश परीक्षा में उसकी योग्यता स्थिति के आधार पर बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला था।उन्होंने प्रबंधन कोटे की एक सीट के खिलाफ प्रवेश प्राप्त किया, या तो कैपिटेशन शुल्क के भुगतान पर या कुछ अन्य बाहरी दबावों के माध्यम से;

(ii) उसे बी. एम. एन. कॉलेज में यह जानते हुए प्रवेश मिला कि यह 'गैर-मान्यता प्राप्त' और अप्रमाणित था।

(iii) 'सूचना विवरणिका' में छात्रों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने का कोई वादा नहीं था।

(iv) अपीलार्थी ने 2006 में अपना तीसरे वर्ष का बी. डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और उससे बहुत पहले बी. एम. एन. कॉलेज वर्ष 2003 में बंद हो गया था।

(v) अपीलार्थी के पक्ष में किसी भी न्यायालय द्वारा उसके प्रवेश को बनाए रखने या पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने और/या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई विशिष्ट अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।किसी भी मामले में, अंतरिम आदेश हमेशा अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होते हैं।

(vi) अपीलार्थी ने डी. सी. आई. द्वारा बनाए गए नियमों को विफल करने के लिए बी. एम. एन. कॉलेज के प्रबंधन के साथ हाथ मिलाया;

(vii) अपीलार्थी के पिताओं और सुरभी राठी द्वारा संयुक्त रूप से दायर 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17040 की बर्खास्तगी ने अपीलार्थी के भाग्य को पूरी तरह से सील लगा दी।उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया है;

(viii) इस अपील को जन्म देने वाली बाद की रिट याचिका इस प्रकार बिल्कुल भी विचारणीय नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका के समान सिद्धांत द्वारा *वर्जित थी;*

(ix) अपीलार्थी पिछली रिट याचिकाओं को खारिज करने सहित भौतिक तथ्यों और जानकारी को दबाने का दोषी है;

(x) अपीलार्थी चौथे वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त करते समय चुनिंदा जानकारी के माध्यम से इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए समान रूप से दोषी है।

(48) ऊपर बताए गए कारणों से, हमे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 14 दिसंबर, 2010 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं हैं लागत के सम्बन्ध में बिना किसी भी आदेश के यह अपील खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)